Omniscient
(An International Multidisciplinary Peer Reviewed Journal)
Vol.1 Issue 3 September 2023 EISSN: 2583-7575

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन का अध्ययन

सागर सहगल, कमलेश कुमार चौधरी
शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली
Corresponding author: sagarnsehgal@gmail.com
Available at https://omniscientmjprujournal.com

सारांश

चरणबद्ध शिक्षा के अनुसार व्यक्ति के जीवन काल में शिक्षा का प्रथम स्तर प्राथमिक शिक्षा है। परिवार में व्यक्ति की प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है जो उसे जन्म से ही विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाती है। यदि विद्यार्थी अपने बाहरी वातावरण में समायोजित नहीं हो पाता तो इसका सीधा-सीधा प्रभाव उसके व्यक्तित्व तथा उसकी शिक्षा पर पड़ता है। शिक्षा में सभी बच्चों का नामांकन होना व अपनी शिक्षा पूर्ण करना आवश्यक है। सरकार द्वारा सभी बच्चों अर्थात बालक व बालिकाओं हेतु शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हैं, परंतु महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से 16.30% कम है। इस अंतर को समाप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आरम्भ की गयी। प्रस्तुत शोध में इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के समायोजन का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना

परिवार में व्यक्ति की प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है जो उसे जन्म से ही विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाती है। समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है सम+आयोजन। सम से आशय है अच्छा तथा आयोजन से आशय व्यवस्थित होने से है। इस प्रकार समायोजन से आशय व्यक्ति द्वारा अपनी परिस्थितियों के साथ उचित व्यवस्था बनाने से है। एस० एस० चौहान के अनुसार, "समायोजन व्यक्ति के जीवन की वह स्थिति है जिसमें वह अपनी वैयक्तिक, जैविक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का भौतिक वातावरण की आवश्यकताओं के साथ कम या अधिक समन्वय कर सके (मानव, 2017, पृ०496)। परिभाषा से स्पष्ट है कि समायोजन की प्रक्रिया व्यक्ति तथा उसके वातावरण दोनों को प्रभावित करती है। यह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति या तो वातावरण को अपने अनुसार बना लेता है अथवा स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढ़ाल लेता है। व्यक्ति का वातावरण के साथ यह अनुकूलन ही समायोजन कहलाता है। बालक की समायोजन क्षमता का उपयोग केवल परिवार में ही नहीं होता अपितु जब वह औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वहां पर भी उसे समायोजन की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी अपने बाहरी वातावरण में समायोजित नहीं हो पाता तो इसका सीधा-सीधा प्रभाव उसके व्यक्तित्व तथा उसकी शिक्षा पर पड़ता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता विद्यार्थियों की शैक्षिक सफलता पर निर्भर करती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम सीढ़ी प्राथमिक शिक्षा है अतः इस स्तर पर सभी बच्चों का नामांकन होना व अपनी शिक्षा पूर्ण करना आवश्यक है।

6 से 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों का जी०ई०आर० (ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो) 90.9% है जबकि कक्षा 9-10 और 11-12

के लिए क्रमशः 79.5% व 56.5% है। इन आंकड़ों पर दृष्टिपात कर यह पाया गया कि कक्षा आठ के बाद कई विद्यार्थी अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। 2017-18 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार 3,22,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 6 से 17 वर्ष की है तथा वे विद्यालय नहीं जाते हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2020, पृ०14)। यद्यपि शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान, 2001 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा सभी बच्चों अर्थात बालक व बालिकाओं हेतु शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हैं, परंतु यदि आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में दयनीय है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की संख्या 62.3 करोड़ है जो भारत की कुल जनसंख्या का 51.47% है। स्त्रियों की संख्या 58.74 करोड़ है जो भारत की जनसंख्या का 48.53% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.90% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 64.80% है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 2.94% कम है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से 16.30% कम है। प्रस्तुत आंकड़े पुरुषों की तुलना में महिलाओं के निम्न शैक्षिक स्तर को दर्शाते हैं। पुरुषों व महिलाओं की साक्षरता दर के अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना को जुलाई, 2004 में आरंभ किया गया।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना (2004) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाएं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रवेश ले सकती थीं। इन विद्यालयों की स्थापना 6 से 8वीं कक्षा तक की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गयी थी। 2004 में इस योजना के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना ऐसे शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में की गई, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.13% से कम हो तथा लिंगभेद राष्ट्रीय औसत 21.67% से ज्यादा हो। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में वर्तमान में कुल 5,726 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 4,887 विद्यालय संचालित हो रहे हैं तथा इनमें 6,30,000 बालिकाओं का नामांकन हुआ है। वर्तमान में सरकार द्वारा इन विद्यालयों को कक्षा 9 से 12 तक उच्चीकरण करने की घोषणा की जा चुकी है।

अध्ययन की आवश्यकता तथा महत्व

किसी भी देश की शिक्षा के साथ ही उस देश का विकास जुड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं, किन्तु यह विकास पूर्ण रूप से गतिमान तभी होगा जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति (बालिकाएं भी) को समान रूप से ऐसा अवसर सुलभ हो। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत सरकार द्वारा दृढ़तापूर्वक प्रयास किया जा रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति भी

की है। 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत थी जोकि पुरुष साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत से 21.59 प्रतिशत कम थी। अतः इस सम्बन्ध में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी। फलस्वरूप जुलाई, 2004 में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना का शुभारम्भ किया गया। "कस्तूरबा गाँधी विद्यालय वंचित लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को समृद्ध बनाने हेतु सरकार का एक नवीन एवं रचनात्मक कदम है" (मिश्रा, 2015)।

यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रयासों व योजनाओं का संचालन मात्र ही उस योजना की सफलता निश्चित नहीं करता अपितु समय अंतराल पर उसका मूल्यांकन होना आवश्यक है। सतत मूल्यांकन ही मार्ग में आने वाली बाधाओं का बोध कराता है फलतः सफलता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी शैक्षिक योजना की सफलता का मूल्यांकन विद्यार्थियों में निहित गुणों पर आधारित होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 से कार्यान्वित है तथा इस क्षेत्र में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा शोध कार्य किए गए हैं जैसे- शर्मा (2021), वारालक्ष्मी (2021), तिरूवा (2020), चतुर्वेदी (2018), रजनी (2018), शेमिली (2017), रावत (2017), सिंह (2015), शंकर (2015), इंदौरिया (2014), बोहरा (2014), पांडे (2013), श्रीवास्तव (2011) आदि। बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन संबंधी कोई भी शोध कार्य संपन्न नहीं हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सम्बन्ध में बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन का मापन किया गया है। इस अध्ययन के माध्यम से यह भी पता लगाने का प्रयास किया गया कि वंचित वर्ग की बालिकाएं अपेक्षित विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं अथवा नहीं।

शोध के उद्देश्य

1.0 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन की जानकारी प्राप्त करना।

1.1 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन का उनकी जाति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

1.1.1 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संवेगात्मक समायोजन का उनकी जाति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

1.1.2 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन का उनकी जाति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

1.1.3 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन का उनकी जाति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

Vol.1 Issue 3 September 2023 EISSN: 2583-7575

शोध परिकल्पनाएं

1.1 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है।

1.1.1 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का संवेगात्मक समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है।

1.1.2 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सामाजिक समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है।

1.1.3 बरेली मंडल में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है।

शोध विधि - अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अध्ययन हेतु सर्वेक्षण अनुसंधान विधि को प्रयोग में लाया गया है।

जनसंख्या - शोध कार्य में जनसंख्या से आशय बरेली मंडल में संचालित समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सत्र 2023-24 में अध्ययनरत कक्षा 8 की विद्यार्थियों से है।

न्यादर्श व न्यादर्शन विधि - शोध अध्ययन में बरेली मंडल के चारों जिलों बरेली,बदायूं,शाहजहांपुर, पीलीभीत के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से लगभग 20% विद्यालयों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया। इन चयनित विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों (388 विद्यार्थी) से दत्त संकलन किया गया।

उपकरण - विद्यार्थियों के समायोजन का पता लगाने हेतु डॉ० ए०के०पी० सिन्हा व डॉ० आर०पी० सिंह द्वारा निर्मित 'एडजेस्टमेंट इन्वेंटरी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, 2019' उपकरण का उपयोग किया गया जिसकी विश्वसनीयता 0.94 तथा वैधता 0.51 है। अनुसूची के कुल मदों (60) को तीन आयामों संवेगात्मक (20), सामाजिक(20), एवं शैक्षिक (20) में बराबर-बराबर विभाजित किया गया है।

सांख्यिकीय प्रविधियां - उपकरण के उपयोग से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण व व्याख्या हेतु मध्यमान,मानक विचलन तथा एफ-अनुपात सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण

तालिका-1.0: सारांश: समायोजन विवरण

आयाम	प्रतिदर्श	मध्यमान	मानक विचलन
संवेगात्मक	388	12.33	6.00
सामाजिक	388	16.48	3.86
शैक्षिक	388	12.14	5.72
समग्र समायोजन	388	40.95	11.87

उपरोक्त तालिका-1.0 से विदित होता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का संवेगात्मक व शैक्षिक क्षेत्र में समायोजन का मध्यमान क्रमशः 12.33 एवं 12.14 तथा मानक विचलन क्रमशः 6.00 एवं 5.72 पाया गया। इन दोनों क्षेत्रों के मध्यमान कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत इन विद्यार्थियों के औसत से उच्च समायोजन को व्यक्त करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में इन विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान 16.48 एवं मानक विचलन 3.86 पाया गया। यह मध्यमान सामाजिक क्षेत्र में इन विद्यार्थियों के औसत समायोजन का घोतक है। मानक

विचलन पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि संवेगात्मक क्षेत्र में इन विद्यार्थियों के समायोजन में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे अधिक भिन्नता थी और सबसे कम भिन्नता सामाजिक क्षेत्र के समायोजन में पायी गयी। समस्त क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 40.95 एवं 11.87 पाया गया। यह मध्यमान इन विद्यार्थियों में औसत से उच्च समायोजन को व्यक्त करता है।

तालिका-1.1: सारांश: प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	मुक्तांश	वर्गों का योग	मध्यमान वर्ग	एफ-अनुपात	सारणी मान
समूहों के मध्य	2	86.53	43.22	**0.31**	एफ .05=3.02 एफ .01=4.66
समूहों के अंतर्गत	385	54470.73	141.48		

उपरोक्त तालिका-1.1 से स्पष्ट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन के सन्दर्भ में प्राप्त एफ-अनुपात का मान 0.31 है जो कि मुक्तांशों (2,385) सार्थकता के .05 व .01 स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एफ-अनुपात मानों क्रमशः 3.02 व 4.66 से कम है, अतः शून्य परिकल्पना-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है, स्वीकार की गयी है।

तालिका-1.1.1: सारांश: प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	मुक्तांश	वर्गों का योग	मध्यमान वर्ग	एफ-अनुपात	सारणी मान
समूहों के मध्य	2	13.14	6.57	**0.18**	एफ .05=3.02 एफ .01=4.66
समूहों के अंतर्गत	385	13896.98	36.10		

उपरोक्त तालिका-1.1.1 से स्पष्ट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संवेगात्मक समायोजन के सन्दर्भ में प्राप्त एफ-अनुपात का मान 0.18 है जो कि मुक्तांशों (2,385) सार्थकता के .05 व .01 स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एफ-अनुपात मानों क्रमशः 3.02 व 4.66 से कम है। अतः कहा जा सकता है कि एफ-अनुपात के आधार पर विभिन्न समूहों के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है तथा शून्य परिकल्पना-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का संवेगात्मक समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है, स्वीकार की गयी है।

तालिका-1.1.2: सारांश: प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	मुक्तांश	वर्गों का योग	मध्यमान वर्ग	एफ-अनुपात	सारणी मान
समूहों के मध्य	2	54.01	27.00	**1.82**	एफ .05=3.02 एफ .01=4.66
समूहों के अंतर्गत	385	5704.90	14.82		

उपरोक्त तालिका-1.1.2 से स्पष्ट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन के सन्दर्भ में प्राप्त एफ-अनुपात का मान 0.18 है जो कि मुक्तांशों (2,385) सार्थकता के .05 व .01 स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एफ-अनुपात मानों क्रमशः 3.02 व 4.66 से कम है। अतः कहा जा सकता है कि एफ-अनुपात के आधार पर विभिन्न समूहों के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है तथा शून्य परिकल्पना-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का सामाजिक

समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है, स्वीकार की गयी है।

तालिका-1.1.3: सारांश: प्रसरण विश्लेषण

प्रसरण स्रोत	मुक्तांश	वर्गों का योग	मध्यमान वर्ग	एफ-अनुपात	सारणी मान
समूहों के मध्य	2	3.66	1.83	**0.06**	एफ .05=3.02 एफ .01=4.66
समूहों के अंतर्गत	385	12664.10	32.89		

उपरोक्त तालिका-1.1.3 से स्पष्ट है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन के सन्दर्भ में प्राप्त एफ-अनुपात का मान 0.06 है जो कि मुक्तांशों (2,385) सार्थकता के .05 व .01 स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एफ-अनुपात मानों क्रमशः 3.02 व 4.66 से कम है। अतः कहा जा सकता है कि एफ-अनुपात के आधार पर विभिन्न समूहों के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है तथा शून्य परिकल्पना-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन उनकी जाति से प्रभावित नहीं है, स्वीकार की गयी है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का समायोजन औसत से उच्च स्तर का है। इन विद्यार्थियों का समायोजन सामाजिक क्षेत्र की अपेक्षा संवेगात्मक एवं शैक्षिक क्षेत्र में अधिक अच्छा पाया गया। जाति के आधार पर विद्यार्थियों के संवेगात्मक,सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के समायोजन में अंतर नहीं पाया गया। अध्ययन के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि विद्यार्थियों की सामाजिक क्षेत्र में समायोजन क्षमता को और अधिक विकसित किये जाने की आवश्यकता है। यह अध्ययन शासन के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा क्योंकि इसी प्रकार के अध्ययनों के आधार पर शासन भविष्य सम्बन्धी नीतियों का निर्माण करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षकों को भी छात्राओं के सम्बन्ध में ज्ञान उपलब्ध करा सकेगा जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण व्यूह रचनाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकें। शिक्षक का कार्य कक्षा में मात्र ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होता अपितु शिक्षक का कर्तव्य विद्यार्थी के विभिन्न गुणों का विकास करना भी होता है। प्रस्तुत अध्ययन से शिक्षक को बालिकाओं के समायोजन सम्बन्धी शील गुणों की स्थिति का पता चलेगा। प्रस्तुत अध्ययन समाज सेवकों के लिए भी लाभप्रद होगा जिससे वे भी बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

गुड, सी०वी० (2010).*इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च* (द्वितीय संस्करण).नई दिल्ली:गुरजीत।

गुप्ता व गुप्ता (2016).*आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन*. इलाहाबाद:शारदा पुस्तक भवन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय: भारत सरकार (2020).राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep_final_hindi_0.pdf से दिनांक 12.07.2023 को प्राप्त।

मानव, आर०एन० (2017).*अधिगम तथा विकास का मनोविज्ञान* (प्रथम संस्करण).मेरठ:आर० लाल बुक डिपो।

मिश्रा, पी0(2015). एलीमेंट्री एजुकेशन थ्रू के जी बी वी:ए केस स्टडी.दी प्राइमरी टीचर.XL.52-62.

सेन्सस(2011).http://censusindia.gov.in/census.website/ से दिनांक 12.07.2023 को प्राप्त।